न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

हजरूदीन बनाम समीखां

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.03.22	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.04.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 499 रकबा 0.46हे0, 500 रकबा 0.58 हे0 किता 2 कुल रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 04.04.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)	
4-4-22	वकील वादी उप०। वास्ते इंतजार तामील दिनांक 30-5-22 को पेश हों।	

30-5-22 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब स्थानान्तरण/
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक........11-7-22
को पेश हो।

रीडर

12-7-22 कल का अवकाश होने के कारण आज पत्रावली पेश हुई। P.O साहब बाहर पधारे है। जिस्ते 12-9-22 को पेश हो। रीडर

12-9-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। बार द्वारा कार्य स्थगन है। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 31-10-22 को पेश हो।

रीडर

31-10-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं।~~ उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 09-11-22 को पेश हो।

रीडर

9-11-22 वकील वादीपक्ष वास्ते इंतजार तामील जिस्ते 14-11-22 को पेश हो।

14-11-22 पत्रावली पेश हुई। दावा प्रा०पत्र अदम हाजरी में खारिज किया गया। अतः प्रा०पत्र अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।